न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

पुनर्विलोकन प्र0 क0 1208–तीन–03 विरूध्द आदेश दिनांक 2–5–03 पारित राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर प्र0क0 2375–दो/2002 निगरानी.

मध्यप्रदेश शासन जरिये उप–पंजीयक,
रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा,म0प्र0

——— आवेदक

विरूध्द

जे0पी0 सीमेंट लिमिटेड,
जे0पी0नगर, रीवा, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्रीमती रजनी वशिष्ट, पैनल अभिभाषक – आवेदक शासन
श्री आर0एस0 जैसवाल, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 22.8. 2014 को पारित)

यह पुनर्विलोकन आवेदनपत्र राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 2375/दो–02 में पारित आदेश दिनांक 2–5–03, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अन्तर्गत पारित किया गया, के विरूध्द आवेदक शासन व्दारा प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने ट्रांसफर आफ माइनिंग लीज का अनुबन्ध पत्र 50–50 रू. के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया। दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति के मुद्रांक शुल्क की गणना अनुच्छेद 63 के

तहत करने हेतु दस्तावेज प्रतिवेदन सहित कलेक्टर आफ स्टाम्प को प्रेषित किये गये। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात कलेक्टर आफ स्टाम्प ने उप–पंजीयक का प्रस्ताव निरस्त किया तथा रू. 50/– के स्टाम्प पर किये गये अनुबन्धपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु उप–पंजीयक को वापिस किये। इस आदेश के विरूध्द शासन व्दारा प्रस्तुत की गयी निगरानी राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 02–05–03 व्दारा खारिज की और कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखा।

3/ राजस्व मण्डल ने रिव्यू प्रकरण कमांक 1205 से 1210–तीन–03 में पारित आदेश दिनांक 2–9–03 व्दारा राजस्व मण्डल का आदेश क्षेत्राधिकार विहीनता के कारण शून्य घोषित किया और निगरानी प्रकरण में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रशासकीय सदस्य के कोर्ट में स्थानान्तरित किये। रिव्यू में पारित आदेशानुसार प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

4/ अनावेदक व्दारा राजस्व मण्डल के रिव्यू में पारित आदेश के विरूध्द मान0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गयी। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18–7–13 व्दारा राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 2–9–03 निरस्त किया तथा प्रकरण प्रचलनशीलता पर पनुः निर्णय हेतु राजस्व मण्डल को वापिस किया गया है। मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ कर प्रकरण मान. अध्यक्ष महोदय को संहिता की धारा 9 के नियम 7 के अन्तर्गत नामांकन करने हेतु दिनांक 5–9–13 को प्रेषित किये। मान. अध्यक्ष महोदय व्दारा अपने आदेश दिनांक 22–10–13 व्दारा इस न्यायालय को प्रकरण को सुनवायी हेतु नामाकित किया गया है।

5/ अनावेदक जे0पी0 रीवा सीमेन्ट व्दारा इस आशय की प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि सी.पी.सी. के आदेश 47 नियम 1 तथा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 114 के अन्तर्गत उप–पंजीयक व्दारा प्रस्तुत

पुनर्विलोकन आवेदनपत्र सुनवायी योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि सी पी सी की धारा 114 के अन्तर्गत रिव्यू आवेदनपत्र सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत पारित डिक्री या आदेश के विरूध्द ही ग्राह्य किया जा सकता है। राजस्व मण्डल व्दारा स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (4) के अन्तर्गत निगरानी में आदेश पारित किया गया है। उनका तर्क है कि Review is a creature of statute है और राजस्व मण्डल चीफ कन्ट्रोलिंग अथोरिटी होने से स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्रदत्त किये गये हैं किन्तु स्टाम्प अधिनियम में रिव्यू का प्रावधान नहीं है इसलिये रिव्यू का आवेदनपत्र राजस्व मण्डल में प्रचलन योग्य नहीं है। इस संबंध में उन्होंने मेरे समक्ष 2000 रा.नि. 193, 1966 जे.एल.जे. 119, ए आई आर 1995 (इलाहबाद) 415 तथा ए आई आर 1970 एस सी 1273 की ओर आकर्षित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि कानून व्दारा रिव्यू की अधिकारिता प्रदान करने पर ही न्यायालय व्दारा रिव्यू किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

6/ आवेदक शासन व्दारा अनावेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्ति का जबाव प्रस्तुत किया गया है। शासन के अभिभाषक का तर्क है कि ट्रांसफर आफ माइनिंग लीज का अनुबन्ध पत्र 50–50 रू. के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया जबकि दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क की गणना अनुच्छेद 63 के तहत की जाकर मुद्रांक शुल्क देय है, किन्तु राजस्व मण्डल व्दारा आदेश पारित करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया जो अभिलेख से स्पष्टदर्शित भूल या त्रुटि है। न्यायालय अपने आदेश का सी पी सी की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 के अन्तर्गत रिव्यू कर सकता है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व मण्डल का गठन म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत किया गया है तथा राजस्व मण्डल को संहिता की धारा 7 के अन्तर्गत अधिकारिता प्रदत्त की गयी है। संहिता की धारा 7(1) के अन्तर्गत ही राजस्व मण्डल को मुख्य राजस्व अधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की

गयी है। संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत मण्डल व्दारा इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मामले के विनिश्चय को 'आदेश' होना मान्य किया गया है। संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को अपने आदेश का स्वमेव या किसी पक्षकार के आवेदन पर रिव्यू करने की अधिकारिता है जो कानून व्दारा राजस्व मण्डल को प्रदत्त की गयी है। अतः उन्होंने अनावेदक की आपत्ति निरस्त कर रिव्यू ग्राह्य कर गुण–दोष पर सुनवायी हेतु नियत करने का अनुरोध किया।

7/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। राजस्व मण्डल के अभिलेख से स्पष्ट है कि उप–पंजीयक व्दारा कलेक्टर आफ स्टाम्प व्दारा पारित आदेश के विरूध्द स्टाम्प अधिनियम की धारा 56(4) के अन्तर्गत निगरानियॉ राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी थी। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 02–05–03 व्दारा स्टाम्प अधिनियम की धारा 56(4) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। सी पी सी की धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 1 के अन्तर्गत रिव्यू आवेदनपत्र सिविल प्रोसीडर कोड के अन्तर्गत पारित डिकी या आदेश के विरूध्द ही प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकरण में स्टाम्प अधिनियम की धारा 56(4) में पारित आदेश के विरूध्द रिव्यू आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिये सी पी सी के प्रावधानों के अन्तर्गत रिव्यू प्रचलन योग्य होना नहीं माना जा सकता। घनश्याम सिंह तथा अन्य वि. म0प्र0राज्य तथा अन्य (2000 रा.नि. 193) में मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने यह व्यवस्था दी है कि –

"कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 म0प्र0 धारा 11 तथा 12 – मामले का अंतिम निपटारा अधिनियम के अधीन– तत्पश्चात स्वप्रेरणा से

पुनर्विलोकन आरंभ नहीं किया जा सकता– अधिनियम के अधीन पुनर्विलोकन का उपबन्ध नहीं है।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 म0प्र0–धारा 51 –म0प्र0 कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960–धारा 11 तथा 12– अधिनियम के अधीन मामले का अंतिम निपटारा– अधिनियम के किसी भी उपबन्ध व्दारा संहिता लागू नहीं की गयी– पुनर्विलोकन के लिये धारा 51 का आश्रय नहीं लिया जा सकता।"

कृष्ण आश्रम एजूकेशनल ट्रस्ट तथा अन्य विरूध्द डिस्ट्रिक जज, इलाहबाद (ए आई आर 1995 इलाहबाद, 415) में भी मान. उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी गयी है कि –

"Societies Registration Act (21 of 1860) Section 5A- Review order granting permission to Trust to sale land under lease- review of – not permissible – District Judge become functus officio after granting approval to such order and has no competence to entertain review application in absence of any express provision to that effect under Act."

मान. उच्च न्यायालय व्दारा दी गयी उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश सी पी सी के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने से डिस्ट्रिक्ट जज को अपने पूर्व आदेश को रिव्यू करने की अधिकारिता नहीं होना मान. उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है। कानून में express provision के बिना न्यायालय व्दारा अपने पूर्व आदेश का रिव्यू नहीं किया जा सकता। स्टाम्प अधिनियम में पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये आवेदक शासन व्दारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं है। राजस्व मण्डल की पूर्णपीठ ने जयकुमार त्रिपाठी विरूध्द म0प्र0 शासन तथा अन्य (पुनर्विलोकन प्र0क0 2228/पीबीआर–06 में पारित आदेश दिनांक 10–8–09)

में यह निर्धारित किया है कि पुनर्विलोकन की शक्ति अपील और पुनरीक्षण के समान अंतर्निहित शक्ति नहीं है– यह शक्ति कानून व्दारा ही प्रदत्त होना चाहिए। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं है। राजस्व मण्डल अथवा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर पुनर्विलोकन के अधिकार स्वमेव invent नहीं कर सकता और ना ही पुनर्विलोकन के लिये भू–राजस्व संहिता की धारा 51 का आश्रय लिया जा सकता है। ऐसी दशा में शासन के विव्दान अभिभाषक का तर्क मान्य योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर शासन व्दारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। परिणाम स्वरूप राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 02–05–03 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0